भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
आतारांकित प्रश्न सं. 1383
बुधवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का विस्तार

1383. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का वर्ष 2050 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की तर्ज पर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हरित हाइड्रोजन संयंत्रों की स्थापना के लिए संभावित स्थलों को चिह्नित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए रोडमैप वर्ष 2030 तक के लिए तैयार किया गया है।

(ख) वाणिज्यिक तौर पर विचार करने के आधार पर स्थल चिह्नित करना संबंधित कंपनियों का विशेषाधिकार है।

(ग) और (घ): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने "ग्रीन अमोनिया/ग्रीन हाइड्रोजन के विनिर्माण के लिए ईआईए अधिसूचना 2006 की प्रयोजनीयता पर स्पष्टीकरण" के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि अक्षय ऊर्जा का उपयोग करते हुए जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया का उत्पादन कर रहे स्टैंडअलोन संयंत्रों को ईआईए अधिसूचना के प्रावधान के अंतर्गत पूर्व में ईसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

*****